

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
 2016/13/2016 प्रा०पत्र विनिमय

27/03/18

कार्यालय का हुक्म प्रमाण पत्रिका
 प्रमाण/प्रमाणिका के अधिकारी को
 प्रमाण/प्रमाणिका के अधिकारी को
 कार्यवाही हेतु दिनांक 22-05-18
 को देया हो।

22/04/18


प्राप्त हुआ है 2018 को जाने
 योग्य पायी जाने पर दिनांक 22-05-18
 सेवा केन्द्र प्रसारण में परा है।

22/05/18

प्राप्त हुआ आज राजस्थान लोक अदालत अखिमान
 मयम आपडे द्वारा कार्यक्रम 2018 के लक्ष्य
 शिविर स्थल अरन मेवा डेन्ड, कांसरडा में
 पेशा हुआ। वकील प्रार्थी गण उपर वकील प्रार्थी गण
 में प्रार्थना पर पेशा कर निवेदन किया कि प्रार्थी
 पार्टी नं. 1 हरद्वारन कोत हो चुका है तथा प्रार्थी
 के अन्य वारिमान ने प्रार्थी के पुत्र खेनाराम से
 नाम प्रार्थी पार्टी नं. 1 की सम्पूर्ण कृषि भूमि का
 एक रजिस्ट्रार कर दिया है। अतः प्रा०पत्र प्रकीर्ण
 कर पार्टी नं. 1 पर खेनाराम पुत्र हरद्वारन को
 प्रमाण-पत्र करने के आदेश प्रदान करें।

खेनाराम

वकील प्रार्थी गण



वर्तमान राजस्थान रेकार्ड के अनुसार
 प्रार्थी पार्टी नं. 1 की सम्पूर्ण कृषि भूमि खेनाराम
 के नाम पर रेकार्ड हो चुकी है। अतः प्रा०पत्र
 स्वीकार किया जाकर खेनाराम पुत्र हरद्वारन को
 पार्टी नं. 1 पर लाल रखादी से रजिस्ट्रार जावे।

वकील प्रार्थी गण ने निवेदन किया
 कि पार्टी नं. 1 व पार्टी नं. 2 अनुलोचनाधर अपनी
 कृषि भूमि का विनिमय करना चाहते हैं। अतः
 प्रा०पत्र विनिमय स्वीकार करने के आदेश प्रदान
 करें।

प्राप्त हुआ व उपलब्ध राजस्थान रेकार्ड का
 अवलोकन किया गया। कि पक्षधर आपसी
 सहमति से अपनी कृषि भूमियों की अदला-

बदली करना चाहते हैं। अतः प्राचीन नं. 1
नं. 42 (दीवार कर आदेश) दिया जाता है कि:-

निर्णय

तन ग्राम कांसरवा 40.60 कांसरवा तहसील जयपुर
अवस्थित प्लॉट नं. 363/678, 363/688, 363/689,
363/690, 364, 365, 385, 386, 386/677,
386/695, 387, 387/693, 387/694, 387/
696, 388, 389, 390 ता 394, 394/700, 395,
395/691, 395/692 2 च. 19.8900 हे. में पार्ष
नं. 1 के नाम प्लॉट 1/12 हिस्सा का पार्ष नं. 2
को खानेदार का नाम कर घोषित किया जाकर उक्त
1/12 हिस्सा से पार्ष नं. 1 खेतकाम पुन 42944
का नाम हलफ किया जाता है तथा कृषि खेती
प्लॉट नं. 720/499 व 500 2 च. 1.5000 हे. की
खानेदारी से पार्ष नं. 2 का नाम हलफ किया जाकर
खानेदारी पार्ष नं. 1 के नाम प्लॉट की जावे। उक्त
मुद्दा 21 नवंबर 2018 को अमल पेशकरी हेतु
तहसील नद जयपुर को तहसील आदेश जारी हो
प्राचीन प्लॉट नं. 394 का नम्बर 19.8900 हे. को
वधा व 42 नवमील साखिल प्लॉट हे। निर्णय
मजसे आम मुद्दा नं. 1

(Signature)
अमीरथ शाख
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

